Email / By post

छत्तीसगढ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग,
-::: मंत्रालय:::-
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
E-mail:revenue.cg@gov.in दूरभाष क्र. 0771-2510994

क्रमांक 308 / GENCOR-35010/382/2025-REVENUE नवा रायपुर, दिनांक 17 MAR 2025

प्रति,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़।

विषयः-राजस्व पखवाड़ा आयोजित करने बाबत्।

--:::00:::--

उपरोक्त विषयांतर्गत राजस्व संबंधी समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु प्रदेश के प्रत्येक जिले के ग्रामों में राजस्व पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन निम्नांकित तिथि अनुसार किया जाना है, जिसमें कार्ययोजना की प्रति संलग्न है।

माह अप्रैल	दिनांक 07 अप्रैल, 2025 से 21 अप्रैल, 2025 तक
माह मई	दिनांक 13 मई , 2025 से 27 मई, 2025 तक
माह जून	दिनांक 16 जून, 2025 से 30 जून, 2025 तक

अतः कृपया राजस्व पखवाड़ा का आयोजन कर, कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार

Signed by Avinash Champawat
Date: 12-03-2025 12:39:49
(अविनाश चंपावत)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

<u>कार्ययोजना</u>

<u>राजस्व संबंधी समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु माह अपै्रल-2025 तक की कार्ययोजना</u>

// राजस्व न्यायालय संबंधी//

....

1. लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवाओं की अदायगी हेतु समय- सीमा में कार्यवाही।

2. अविवादित नामांतरण/अविवादित खाता विभाजन के समय-सीमा के बाहर प्रकरणों का 30 अप्रैल तक शत-प्रतिशत निराकरण करना।

3. सीमांकन, व्यपवर्तन, वृक्ष कटाई का समय सीमा से बाहर के प्रकरणों का 30 अप्रैल 2025 तक शत-प्रतिशत निराकरण करना साथ ही नगरीय क्षेत्रों के सीमांकन प्रकरणों का भी पूर्ण निराकरण करना।

4. विवादित नामांतरण, विवादित खाता विभाजन के समय सीमा के बाहर के प्रकरणों की त्वरित सुनवाई 30 अप्रैल 2025 तक शत-प्रतिशत निराकरण करना।

5 धारा 115 अंतर्गत अभिलेख त्रुटि हेतु आवेदन प्राप्त कर 30 अप्रैल 2025 तक शत-प्रतिशत निराकरण करना।

6 सभी राजस्व न्यायालय में शून्य आदेश पत्र वाले प्रकरणों में 30 अप्रैल 2025 तक शत-प्रतिशत निराकरण करना।

7. सभी राजस्व न्यायालय में दर्ज ऐसे प्रकरण जिनकी पेशी तिथि अद्यतन नहीं है, शत-प्रतिशत पेशी तिथि अद्यतन करना।

8. जनहानि-पशुहानि फसल क्षति से संबंधी आर.बी.सी. 6-4 के तहत प्राप्त आवेदनों का त्वरित निराकरण करना।

9 अधीनस्त टेबल का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन 30 अप्रैल 2025 तक कलेक्टर को उपलब्ध कराना।

10 धारा 115 के आवेदन पत्रों का परीक्षण कर अकारण की गई त्रुटियों के लिये जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए दिनांक 30/04/2025 तक अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।

11 भू-अर्जन संबंधी प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण तथा भू-अर्जन प्रकरणों में लिये गये सेवा शुल्क की जानकारी अद्यतन किया जाना।

//भू-अभिलेख संबंधी//

....

1. स्वामित्व योजनांतर्गत भारतीय सर्वेक्षण विभाग से प्राप्त मैप -02 का 30 अप्रैल 2025 तक प्रारंभिक प्रकाशन करना।

2. कोटवारों द्वारा विक्रय की गई कोटवारी/सेवाभूमि के विरूद्ध 30 अप्रैल 2025 तक समूचित कार्यवाही करना।

3. वार्षिकी कृषि सांख्यिकीय सारणी तथा ऋतु एवं फसल प्रतिवेदन (जिंसवार) वर्ष 2024-25 का अप्रैल 2025 तक शत-प्रतिशत अद्यतन जानकारी उपलब्ध करना।

4. अभिलेख शुद्धता (संकलन हेतु शेष खसरे, विलोपन योग्य संदिग्ध खसरा, शून्य रकबा वाले खसरा, भूमिस्वामी विहिन खसरा, भूमिस्वामी के विवरण में स्पेशल कैरेक्टर युक्त खसरा संयुक्त खातेदार का नाम पृथक-पृथक दर्ज न होकर एक साथ दर्ज होने, त्रुटिपूर्ण खसरा भूमिस्वामी क्रमांक निर्धारण हेतु शेष खसरों की संख्या) अंतर्गत 30 अपै्रल 2025 तक शत-प्रतिशत निराकरण करना।

5 नक्शा बटांकन अंतर्गत अप्रैल माह में प्रत्येक तहसील में 05 प्रतिशत की प्रगति।

6 भूमिस्वामी के ,खातां में आधार, मोबाईल नं. किसान किताब एवम जेण्डर की प्रवितष्टि 30 अप्रैल 2025 तक शत- प्रतिशत करना।

<u>// राजस्व पखवाडा संबंधी//</u>

1. राजस्व पखवाडा शिविर आयोजन के संबंध में प्रत्येक ग्राम पंचायतों में व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु कोटवारों के माध्यम से मुनादी कराना।

2. शिविर में प्राप्त होने वाले आवदनों जैसेः- फौती नामांतरण एवं बटवारा अभिलेख त्रुटि सुधार के प्रकरणों का मौके पर ही ऑनलाईन अपलोड पर हल्का पटवारी द्वारा प्रतिवेदन, पंचानामा, आदि की प्रविष्टि एवं मौके पर ही नोटिस ईश्तहार जारी कर पक्षकारों को तामिली कराना एवं 30/04/2025 तक निराकरण करना।

3. मौके पर बी-01, खसरा एवं किसान किताब के प्राप्त आवेदनों का शिविर स्थल पर निराकरण कराना।

4. आय, जाति, निवास संबंधी समस्त आवेदनों का शिविर स्थल पर ही लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आनलाईन प्रविष्टि एवं समय-सीमा में शत-प्रतिशत निराकरण करना।

5. शिविर में प्राप्त होने वाले आवेदनों एवं उन पर कार्यवाही की जानकारी प्रत्येक दिवस निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय को उपलब्ध कराना।

6 धारा 115 के आवेदनों को शिविर में प्राप्त कना।

Signed by
Sunil Kumar Chandrawanshi
Date: 17-03-2025 15:20:39

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग